भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या 2098
सोमवार, 20 मार्च, 2023 (29 फाल्गुन,1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

देश में नए हवाई अड्डों का प्रस्ताव

2098. श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अगले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार और जिला-वार कितने नए हवाई अड्डों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या बिहार राज्य में एक नया हवाई अड्डा या कार्गो हवाई अड्डा बनाने की कोई परियोजना विचाराधीन है:

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) भारत सरकार ने, देशभर में 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों, नामतः, गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कलबुर्गी, विजयपुरा, हसन और शिमोगा, मध्य प्रदेश में डबरा (ग्वालियर), उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा (जेवर), गुजरात में धोलेरा और हीरासर (राजकोट), पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दगदार्थी (नेल्लोर), भोगपुरम और ओर्वाकल (कुरनूल), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पैक्योंग, केरल में कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी (ईटानगर) की स्थापना हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।

इस मंत्रालय द्वारा 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किए गए 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों में से, 11 हवाईअड्डों पर प्रचालन आरंभ किया जा चुका है और शेष हवाईअड्डों में से नवी मुंबई, विजयपुरा, हसन, नोएडा (जेवर), हीरासर और धोलेरा हवाईअड्डों पर कार्य पूर्ण होने की संभाव्य तिथि अगले तीन वर्ष के भीतर है।

तथापि, हवाईअड्डों पर निर्माण कार्य की समय सीमा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरी, बाधाओं को हटाना, संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ताओं द्वारा वित्तीय समापन आदि।

(ख) से (घ): भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति (जीएफ़ए) 2008 तैयार की है, जिसमें देश में नए ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डे के विकास हेतु प्रक्रिया और शर्तों को निर्धारित किया गया है। इस नीति के अनुसार, हवाईअड्डा स्थापित करने के लिए इच्छुक, राज्य सरकार या हवाईअड्डा विकासकर्ता द्वारा 2-चरणों के अनुमोदन यथा 'साइट-क्लीयरेंस' और इसके बाद ' सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) के पास एक प्रस्ताव भेजा जाना अपेक्षित है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा, इस तरह के प्रस्तावों पर जीएफ़ए नीति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है। आज की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास हेतु न तो संबंधित राज्य सरकार से और न ही किसी अन्य हवाईअड्डा विकासकर्ता से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

******